न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 532/2026
संतोष चौहान बनाम बिहार सरकार
[मैरवा थाना कांड संख्या 110/2025]

आदेश

08.07.2026 आवेदक/अभियुक्त **संतोष चौहान पे0 पारस चौहान** जो इस मामले में दिनांक **30.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 532/2026, मैरवा थाना कांड संख्या 110/2025, अंतर्गत धारा–126(2), 115, 76, 303(2) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनी रंजन त्रिवेदी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 14.03.2025 को शाम 6:00 बजे के करीब सूचिका गायों को चारा खिलाकर अपने घर लौट रही थी तो अचानक सूचिका के ही गांव के संतोष चौहान ने रास्ते में अचानक रोक कर सूचिका के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। सूचिका शोर मचाना चाही तो सूचिका का ब्लाउज फाड़ दिया। सूचिका का कपड़ा फाड़कर सूचिका को नग्न कर दिया। फिर सूचिका को मारना शुरू कर दिया। सूचिका को तब तक मारा जब तक कि सूचिका पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। सूचिका के गले में सोने की चैन, ज्योतिया सभी माला छीन लिया गया। किसी तरह परिजनों की मदद से सूचिका रेफरल अस्पताल में भर्ती हुई। जहां सूचिका का ईलाज चल रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 944/2025 दाखिल किया गया था जिसे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद आवेदक की ओर से क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 49687/2025 दाखिल किया गया जिसे दिनांक 07.08.2025 को खारिज कर दिया। उसके बाद आवेदक की ओर से एस0एल0पी0 नम्बर 17703/2026 दाखिल किया गया जिसे न्यायालय द्वारा एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के बाद बिना किसी देरी के आत्मसमर्पण कर दिया गया। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा कि अभियोजन द्वारा उनके उपर आरोप लगाया गया है। आवेदक और सूचिका दोनों आपस में पड़ोसी है और दोनों के बीच भूमि संबंधी विवाद है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारीहन और मनगढंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया धारा– 303(2) एवं 76 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर जमानतीय है। जांच रिपोर्ट में गवाहों की चिकित्सा रिपोर्ट सूचिका के बयान का समर्थन नहीं करती है। घटना 14.03.2025 की बताई जाती है और प्राथमिकी दर्ज कराने की तिथि 15.03.2025 बताई जाती है और उसके विलम्ब होने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 532/2026
संतोष चौहान बनाम बिहार सरकार
[मैरवा थाना कांड संख्या 110/2025]

08.07.2026
लगातार

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मैरवा थाना कांड संख्या 110/2025, अंतर्गत धारा–126(2), 115, 76, 303(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध सूचिका का लज्जा भंग करने, उसे मारने एवं गहने की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक दिनांक 30.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **संतोष चौहान** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करता है तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करता है या विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहता है तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 08.07.2026

Date of Order/Judgment	08.07.2026
Date of Reserving Order/Judgment	08.07.2026
Uploading Date	10.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी

B.P. No.- 532/2026

संतोष चौहान बनाम बिहार सरकार

[मैरवा थाना कांड संख्या 110/2025]